न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीकर

शक्तिसिंह बनाम रघुनाथसिंह

मुकदमा दावा 28 / वर्ष 2023

आज्ञा–पत्र

पत्रावली पेश हुई। वादी की ओर से अधिवक्ता **श्री बनवारी लाल बरवड़** ने न्यायालय हाजा के समक्ष उपस्थित होकर वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। कार्यालय रिपोर्ट प्राप्त की गई। वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जावे। प्रतिवादीगण को जरिये समन से तलब किया जाकर पत्रावली आ.ता.पेशी 01.03.2023 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर

उपखण्ड अधिकारी सीकर

पत्रावली पेश हुई। आज [illegible] के [illegible] [illegible] कर रखा है। पत्रावली पूर्व [illegible] दिनांक 18-5-23 को पेश हो।

पत्रावली पेश हुई। वकील/ उभयपक्ष हाजिर। पीठासीन अधिकारी आज अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्वादेशानुसार दिनांक 6/9/23 को पेश हो।

5/23 वकील वादी ने मिसल तलबी आवेदन प्रस्तुत किया। पत्रावली आज तारीख पेशी पर ली गई। वकील वादी ने इसके साथ एक आवेदन इस आशय का पेश किया कि पक्षकारों में लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है, इसलिए प्रकरण को आगे नहीं चलाना चाहते हैं। अतः पत्रावली का अवलोकन कर वादी का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर स्वयं उनके अनुरोध एवं वकील की पहचान पर वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज मेरे हस्ताक्षर से खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी- सीकर